न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सतना जिला सतना म0प्र0

निगरानी प्र.क्र. ..../14

R. 4148-III/14

ललवा साकेत तनय श्री देविया साकेत निवासी ग्राम देवरी, थाना बदेरा, तहसील मैहर, जिला सना म0प्र0 हाल निवास ग्राम सढ़ेरा थाना बदेरा, तहसील मैहर, जिला सतना म0प्र0

.................**निगराकार**

बनाम

1. मुस. लक्ष्मी सिंह बेबा ज्ञानेन्द्र सिंह उम्र साल निवासी ग्राम देवरी, थाना बदेरा, तहसील मैहर, जिला सतना म0प्र0

2. म0प्र0शासन

............**गैर निगराकार**

श्री ए.पी.एल. निराला एड के द्वारा आज दिनांक 21.11.14 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मैहर वृत्त बदेरा जिला सतना म0प्र0 के राज.प्र.क्र. 1अ12/2011–12 आदेश दिनांक 27/03/2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

निगराकार निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है कि :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् तहसीलदार मैहर वृत्त बदेरा के समक्ष गैर निगराकार क्र.1 द्वारा धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 का आवेदन पत्र दिया जिसका सम्मन प्राप्त होने पर निगराकार न्यायालय में उपस्थित हुआ तब उसे ज्ञात हुआ कि गैर निगराकार ने आराजी नं. 73/2 रकवा 3.742 हे. वाका मौजा देवरी तहसील मैहर का सीमांकन मनमानी रूप से चोरी छिपे तौर पर कराया और जिसका आदेश प्रकरण क्र. 1अ12/2011–12 आदेश दिनांक 27/03/2012 को पटवारी हल्का के प्रतिवेदन दिनांक 27/03/2012 स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा ट्रेस का पुष्टीकरण कर दिया गया है इस प्रतिवेदन के आधार पर गैर निगराकार की समधी बिहारी चौधरी की आराजी खसरा नं. 70/1ग में ललुआ पिता देविया साकेत का आराजी नं. 73/2 रकवा 3.742 हे. के पश्चिमी भाग में 25 फुट लम्बा एवं 25 फुट चौडा बना मकान पाया गया इसी दबता रकवा के आधार पर धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं.1959 के तहत कार्यवाही जारी की गई है इस आदेश की जानकारी होते ही निगराकार द्वारा नकल पाने का आवेदन दिनांक 20/10/2014 को दिया गया नकल दिनांक 13/11/14 को प्राप्त हुई तब पूर्ण जानकारी हुई कि गैर निगराकार द्वारा बिना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.4148–III/14 जिला–सतना

ललवा साकेत/लक्ष्मी सिंह

(1)	(2)	(3)
01.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	